

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), उदयपुर

क्रमांक: AUG2301

दिनांक: 01/08/2023

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREU/UDA/0006885

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशेखा सहित प्राप्त निम्न अंथी तूफान के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार अंथी तूफान से पीड़ितों को उनके नाम के सन्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीडित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/UDA/12 023/06089 9	नाम: Kailashपिता का नाम: Khema जीजिला: उदयपुर	01, खेडा भानसोल, मावली, पंचायत समिति -मावली, ग्राम पंचायत -भानसोल, गांव - भानसोल	29/05/2023	अंथी तूफान	ग्रामी श्री कैलाश भील पुत्र श्री खेमा निवासी खेडा, भानसोल, तह. मावली जिला उदयपुर की माता श्रीमती रानी बाई पत्नी श्री खेमा भील की दिनांक 29.05.2023 को घर पर कटोरी कैल्पोश रसोई (ढालिया) में खाना बनाते समय तेज अंथी तूफान से ढालिया ढहने से मृत्यु हो गई।	400000
योग							400000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-111-(02)-[01]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
उदयपुर

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि - निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, उदयपुर।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा


(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
उदयपुर